यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद सं. 275/2002/पुनः दर्ज 82/2022

शीर्षक

1. छीतरमल पुत्र नाथूराम (दौराने वाद फौत)
   1/1 सुरेन्द्र कुमार जाट }
   →पुत्रान छीतरमल जाट
   1/2 राकेश कुमार जाट }
   1/3 श्रीमति झमरी देवी पत्नि छीतरमल जाट जाति जाट निवासी–ग्राम खोरालाडखानी
   1/4 श्रीमति सुनिता जाट पुत्री छीतरमल जाट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र छाजूलाल (दौराने वाद फौत)
   1/1 दिनेश पुत्र मदनलाल
   1/2 राजेश पुत्र मदनलाल
   1/3 रमा शर्मा पुत्री मदनलाल
   1/4 अम्बिका शर्मा पुत्री मदनलाल
2. कमला बेबा महेश
3. हँसराज पुत्र महेश
4. अनिल पुत्र महेश समस्त जाति ब्राहमण निवासी– खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा जिला–जयपुर (राज0)
5. तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज0)
6. उप. पंजियक तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

(मोहर: न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान)

दावा दुरूस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.10.2022

प्रस्तुत प्रकरण में वादी के द्वारा वादपत्र में जाहिर किया कि आराजी ख. न. 1459 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 879 रकबा 0.88 है0 कुल किता 2 रकबा 0.92 है0 जिसका साबिक ख.न. 560 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0) है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है, एवं लगान जमा कराता आ रहा है। साबिक ख. नं. 560 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को वादीगण के पिता छीतरमल पुत्र नाथूराम जाट ने जरिये रजिस्टर्ड बिकय पत्र दिनाँक 08/09/1980 को खरीद की है जिसका विकय पत्र दिनाँक 25/09/1980 को पंजीबद्ध तत्कालीन उपपंजीयक विराटनगर तह0 विराटनगर जिला जयपुर द्वारा किया गया है। हाल भू–प्रबन्ध के समय गलती से राजस्व रिकॉर्ड नक्शा व जमाबंदी मे गलत इन्द्राज कर हाल ख.नं. 1459 रकबा 0.04 है0 भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ल. 4 (जो बिकेतागण के ही वारिसान है) बिकेतागण के नाम ही दर्ज चली आ रही है। जबकि वादी केता ने साबिक ख. नं. 560 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा (अर्थात 0.94 है0) सम्पूर्ण को कय की है। जिसके हाल ख.नं. 879 रकबा 0.88 है0 व खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.04 है0 बने है । हाल ख.नं. 879 रकबा 0.88 है0 वादी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी है एवं ख.नं. 1459 रकबा 0.04 है0 प्रतिवादीगण 1 ल. 4 के नाम तथा शेष रकबा गैर मुमकिन सडक ख.नं. 1463 में मिला दिया गया है। जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को वादी के विरूद्ध खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम एवं सडक में मिला देने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रश्नागत आराजी में से अनुतोष वादी ने हाल आराजी ख.नं. 1459 रकबा 0.04 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आदेश डिकी प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने एवं प्रतिवादीगण 1 ल. 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबन्ध किया जावे कि वे भूमि ख.नं. 1459 रकबा 0.04 है0 को वादीगण के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग मे किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर बाद तामील प्रतिवादीगण को तलब किया, प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अभिभाषक अपना प्रतिवाद (जवाबदावा) प्रस्तुत किया और जाहिर किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्य गलत एवं गैर–कानूनी है।हाल ख. नं. 879 एवं ख.नं. 1459 के मध्य सरकारी भूमि सडक रास्ता है। ख.नं. 1459 सडक में शामिल किया गया है। मिलान क्षेत्रफल गलत बनाया गया है। एवं ख. नं. 1459 परिवादी का कोई कब्जा नही है अतः वादी वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी के वादपत्र में दर्शित तथ्यों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के बाद प्रकरण में तनकियात कायम की गई। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी को अपना अपना पक्ष मय साक्ष्य साबित करने का आदेश दिया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष में समस्त साक्ष्य आया बिक्रय पत्र खातेदारी जमाबंदीयात, साबिक व हाल नक्शेजात प्रस्तुत किये एवं साक्षी गवाहान कराई गई जिरह हुई, लेकिन प्रतिवादीगण ने कायमी तनकीयात को सिद्व नहीं किया, एवं ना ही कोई साक्ष्य या गवाह कराई गई। अतः बाद प्रकरण अवलोकन एवं मनन् के न्यायहित में मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार शाहपुरा को कायम किया गया। प्रकरण में कई मर्तबा स्मरण पत्रो से अवगत कराने के 4 वर्ष 4 माह बाद कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुयी वकील वादी ने कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की, जो न्यायहित मे आपत्ति स्वीकार कर पुनः स्पष्ट रिपोर्ट करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये गये।बार–बार ताकीद करने पर भी तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त नही हुयी है। इसी दौरान वादी के फौत हो जाने से वादी वकील एवं वकील प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई पैरवी की गई ना ही उपस्थित आये । अतः वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 12.12.2019 को आदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। वकीले वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सी.पी. सी. पेश कर इन्तदुआ की वादी की मृत्यु हो जाने से वारिसान के ज्ञान के अभाव में प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं करने से माननीय न्यायालय ने वादपत्र को खारिज फरमाया गया है। अतः दिनांक 12.12.2019 को पारित किये गये खारिजी आदेश को मन्सूख किया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन् किया तथा वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी में उल्लेखित तथ्य सही पाये जाने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर्ड कर सुनवाई की कार्यवाही की गई। प्रकरण पूर्व में अन्तिम स्टेज पर पहले से ही था अतः आगे की कार्यवाही अमल में लाई गई जिसके तहत वकील वादी द्वारा वादी के एव प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की प्रार्थना स्वीकार कर पुनः प्रतिवादीगण को नोटिस दिये गये बाद तामिल प्रतिवादीगणगण अनुपस्थित रहे। प्रकरण में प्रतिवादीगण को उचित समय दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तरफ से कोई प्रतिवादीगण स्वंय एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आयें । प्रकरण में प्रतिवादीगण की सुनवाई बन्द की जाकर तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट भी कई वर्षो से प्राप्त नहीं होने पर वकील वादी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रकरण को तकनीकी का होना बताया एवं तहींसलदार की रिपोर्ट से अधिक महत्वपूर्ण पैमाईसी रिपोर्ट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शे साबिक एवं हॉल का मिलान सही होना ताईद किया गया । वकील वादी की लिखित बहस पर गहनता पूर्वक मनन् कर वादी के पक्ष में वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता है कि आराजी ख.नं. 1459 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम खोरालाडखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 का नाम हजफ कर वादीगण सुरेन्द्रकुमार राकेशकुमार पि0 छीतरमल श्रीमति झमरी पत्नी छींतरमल श्रीमति सुनिता पुत्री छीतरमल कोम जाट सा. खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा जिला–जयपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो । पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीणा) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद सं. 275/2002/पुनः दर्ज 82/2022

शीर्षक

1. छीतरमल पुत्र नाथूराम (दौराने वाद फौत)
   1/1 सुरेन्द्र कुमार जाट }
   →पुत्रान छीतरमल जाट
   1/2 राकेश कुमार जाट }
   1/3 श्रीमति झमरी देवी पत्नि छीतरमल जाट जाति जाट निवासी–ग्राम खोरालाड़खानी
   1/4 श्रीमति सुनिता जाट पुत्री छीतरमल जाट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र छाजूलाल (दौराने वाद फौत)
   1/1 दिनेश पुत्र मदनलाल
   1/2 राजेश पुत्र मदनलाल
   1/3 रमा शर्मा पुत्री मदनलाल
   1/4 अम्बिका शर्मा पुत्री मदनलाल
2. कमला बेबा महेश
3. हँसराज पुत्र महेश
4. अनिल पुत्र महेश समस्त जाति ब्राहमण निवासी– खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा जिला–जयपुर (राज0)
5. तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज0)
6. उप. पंजियक तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी एव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.10.2022

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता है कि आराजी ख.नं. 1459 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम खोरालाडखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 का नाम हजफ कर वादीगण सुरेन्द्रकुमार राकेशकुमार पि0 छीतरमल श्रीमति झमरी पत्नी छींतरमल श्रीमति सुनिता पुत्री छीतरमल कोम जाट सा. खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा जिला–जयपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकार्उ में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो । पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	